

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 322/12
 संस्थापन दिनांक:-09/08/12
 फाईलिंग नं. 233504000712012

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

आनंदराव पिता भीकम
 उम्र 55 वर्ष, निवासी डोडावानी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 21.10.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 325 भा०द०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 27.07.2012 को शाम 06:00 बजे थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत ग्राम डोडावानी खेत की मक्का चराने मना करने पर फरियादी पार्वतीबाई को बैल के रस्से से मारकर स्वेच्छया मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की।

2 प्रकरण में यह स्वीकृत है कि फरियादी एवं अभियुक्त एक ही परिवार के हैं।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.07.2012 को शाम 6 बजे फरियादी पार्वतीबाई के खेत की मक्का अभियुक्त ने चरा लिया था जिसे फरियादी द्वारा मना करने पर अभियुक्त ने उसे बैल के रस्से से तथा हाथ मुक्के से मारपीट किया जिससे उसे गले एवं बांये हाथ के पंजे पर चोट आयी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट को थाना आमला में रोजनामचा सान्हा क. 1666 पर दर्ज कर फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। चिकित्सकीय परीक्षण में फरियादी को फेक्चर पाये जाने से थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 269/12 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक नायलोन की करीब चार हाथ लंबी पुरानी रस्सी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी पार्वतीबाई को बैल के रस्से से मारकर स्वेच्छया मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 पार्वतीबाई (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त आनंदराव उसके घर के पीछे बैलों को घास चरा रहा था, जब उसने मना किया तो अभियुक्त ने रस्सी से उसके साथ मारपीट किया तथा उसे पटक दिया, गिरने से उसे बांये हाथ की हथेली पर चोट आयी और छोटी अंगुली में फेक्चर हो गया था। देवराज यादव (अ.सा.-2) एवं शिवकलीबाई (अ.सा.-4) ने उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह प्रकट किया है कि अभियुक्त आनंदराव बैल की रस्सी से पार्वतीबाई को मार रहा था। देवराज यादव (अ.सा.-2) ने यह भी प्रकट किया है कि मारपीट से पार्वतीबाई को कमर, पीठ, पैर में चोट आयी थी तथा पार्वतीबाई के बांये हाथ की हथेली पर फेक्चर हुआ था। शिवकलीबाई (अ.सा.-4) ने यह भी प्रकट किया है कि मारपीट से उसकी सास पार्वतीबाई के अंगुली एवं गर्दन में चोट आयी थी तथा हाथ की अंगुली टूट गयी थी। अनुसुईया (अ.सा.-6) ने भी फरियादी पार्वतीबाई के कथनों का आंशिक समर्थन करते हुए यह बताया है कि उसे पार्वतीबाई के द्वारा यह बताया गया था कि अभियुक्त आनंदराव के द्वारा उसे मारा गया है जिससे उसके हाथ में चोट आयी थी।

7 डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.-8) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 28.07.2012 को सीएचसी आमला में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत पार्वतीबाई का परीक्षण किया था जिसमें आहत की बांयी चौथी अंगुली के आसपास सूजन एवं दर्द पाया था। साक्षी ने उक्त चोट कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना बताते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-7) को प्रमाणित किया है।

8 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-1) ने दिनांक 30.07.2012 को जिला चिकित्सालय बैतूल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ आहत पार्वती का एक्सरे परीक्षण के दौरान आहत की एक्सरे प्लेट क्र. 7623 में रिंग फिंगर का पास वाला फेलिंग टूटा होना बताते हुए एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.-8), देवराज यादव (अ.सा.-2), शिवकलीबाई (अ.सा.-4), पार्वतीबाई (अ.सा.-3) के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आहत पार्वतीबाई के बांये हाथ की अंगुली में फेक्चर आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

9 बिसनसिंह (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन कथन दिनांक 08.08.2012 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए दिनांक 28.07.2012 को फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध रोजनामचा सान्हा प्रदर्श प्री-3 लेख करना तथा फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराये जाने के बाद एमएलसी रिपोर्ट में फेक्चर पाये जाने से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 269/12 में (प्रदर्श प्री-4) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया जाना प्रकट किया है।

10 लख्खू साहू (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन कथन में दिनांक 08.08.2012 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 269/12 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) एवं अभियुक्त से दिनांक 09.08.2012 को एक नायलोन की रस्सी जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-5) तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-6) तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में साक्षी देवराज, शिवकलीबाई, अनुसुईया अनुश्रुत साक्षी हैं जिनके समक्ष घटना घटित नहीं हुई हैं अभिलेख पर केवल आहत पार्वतीबाई के कथन है। एकमात्र आहत के कथनों पर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में देवराज यादव (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसने पूरी घटना देखा था तथा बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य का खंडन नहीं किया जा सका है। पार्वतीबाई (अ.सा.-3) ने भी घटना देवराज यादव के द्वारा देखी जाना बताया है। यद्यपि शिवकलीबाई (अ.सा.-4) ने यह प्रकट किया है कि जब उसकी सास पार्वतीबाई ने आवाज लगायी थी तो वह मौके पर पहुंची थी और उसने अभियुक्त को मारपीट करते देखा था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह सही होना बताया है कि वह विवाद होने के बाद मौके पर पहुंची थी परंतु यदि

तर्क के लिए यह माना भी जाये कि शिवकलीबाई (अ.सा.-4) ने घटना घटित होते नहीं देखी थी परंतु घटना के तत्काल पश्चात साक्षी का मौके पर पहुंचना, अपनी सास फरियादी पार्वतीबाई के शरीर पर चोटों का देखे जाने से फरियादी पार्वतीबाई के कथनों की आंशिक संपुष्टि होती है। अनुसुईया (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि उसे घटना के बारे में फरियादी पार्वतीबाई ने बताया था लेकिन उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसे फरियादी के द्वारा हाथ में चोट आने की बात भी बतायी गयी थी। यद्यपि साक्षी अनुसुईया अनुश्रुत साक्षी है परंतु आहत के हाथ पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि उसके कथनों से भी होती है।

13 पार्वतीबाई (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त के द्वारा बैल की रस्सी से मारपीट की जाना, अभियुक्त द्वारा उसे पटक दिये जाने से गिरने के कारण बांये हाथ की हथेली पर चोट आने का तथ्य प्रकट किया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 05 में साक्षी ने यह गलत होना बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। बचाव पक्ष के द्वारा अभियुक्त द्वारा आहत पार्वतीबाई को मारपीट किये जाने के तथ्य का खंडन नहीं किया जा सका है। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आहत सर्वोत्तम साक्षी होता है तथा इस संबंध में न्याय दृष्टांत **भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552** उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। प्रकरण में फरियादी पार्वतीबाई (अ.सा.-3) अभियुक्त द्वारा उसे मारपीट किये जाने के तथ्य पर अखंडित है। साक्षी के कथनों का आंशिक समर्थन देवराज यादव (अ.सा.-2) एवं शिवकलीबाई (अ.सा.-4) के कथनों से भी होता है। अतः बचाव अधिवक्ता का तर्क अमान्य किया जाता है।

14 बचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश होने के कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। तर्क के परिप्रेक्ष्य में पार्वतीबाई (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त से पूर्व से जमीनी विवाद का होना स्वीकार किया है परंतु न्यायालय के मत में जहां रंजिश किसी को झूठा फंसाये जाने का आधार हो सकती है वहीं मारपीट का हेतुक भी हो सकती है। प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा आहत को मारपीट कर पटक दिये जाने से उसके बांये हाथ की हथेली पर चोट आना तथा अंगुली फेक्चर हो जाने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है। साथ ही चिकित्सकीय साक्षी के द्वारा आहत को आयी चोट 24 घंटे के भीतर आना बताया गया है। स्पष्टतः अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आहत को चोट आने का तथ्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी संपुष्टि होता है। आहत पार्वतीबाई के कथनों की पुष्टि अन्य साक्षी देवराज यादव (अ.सा.-2) एवं शिवकलीबाई (अ.सा.-4) के कथनों से भी होती है। ऐसी स्थिति में मात्र रंजिश से बचाव को कोई भी लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि फरियादी

के द्वारा घटना की रिपोर्ट घटना दिनांक 27.07.2012 के दूसरे दिन दोपहर 03:30 बजे की गयी है परंतु उक्त विलंब अभियोजन के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण घातक नहीं है।

15 फरियादी पार्वतीबाई (अ.सा.-3) द्वारा अभियुक्त को कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन दिया गया हो ऐसे तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्त द्वारा फरियादी पार्वतीबाई को मारपीट कर उसे पटका जाना उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। अतः अभियुक्त द्वारा पार्वतीबाई (अ.सा.-3) को मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी पार्वतीबाई को बैल के रस्से से मारकर स्वेच्छया मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त आनंदराव को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के आरोप में दोषी पाया जाता है।

17 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

18 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध फरियादी को रस्से से स्वेच्छया मारपीट कर गंभीर उपहति कारित करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

19 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी को रस्से से मारकर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करने का अपराध

कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

20 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त एवं फरियादी एक ही गांव के निवासी हैं परंतु जिस तरह से अभियुक्त के द्वारा छोटी सी बात पर फरियादी को रस्सी से मारपीट कर उसे पटक कर घोर उपहति कारित की गयी है उसे देखते हुए एवं संपूर्ण तर्कों एवं परिस्थितियों को विचार में लेने के पश्चात तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को मात्र अर्थदंड से दंडित किया जाना उचित नहीं है। फलतः अभियुक्त आनंदराव को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के आरोप में **छह : माह** के सश्रम कारावास एवं **800/-** रुपये के अर्थदंड के दंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

21 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 500/- रुपये आहत पार्वतीबाई पति विपत निवासी डोडावानी, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

22 प्रकरण में जप्तशुदा एक पुरानी नायलोन की रस्सी अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

23 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जाकर कारावास की सजा भुगताई जाने हेतु अभियुक्त को उप जेल मुलताई, जिला बैतूल भेजा जावे।

24 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

